वर्ष 4, अंक 86 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

नवम्बर 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005, जो हाल ही में प्रवर्तित हुआ, एक ऐतिहासिक अधिनियम है जो महिलाओं को पितृ-प्रधान एवं सामंतवादी उत्पीड़न तथा लिंग-भेद का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कानून की विशिष्ट बात यह है कि यह बाहर वालों से नहीं अपितु अपने परिवार के सदस्यों से संरक्षा देता है।

अधिनियम में किए गये प्रावधान के अनुसार, जो आरोपी अपनी पत्नियों या सहवासिनी स्त्रियों को चोट पहुंचायेंगे उन्हें एक वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

पहली बार, इस नये कानून में घरेलू हिंसा की बड़ी विस्तृत परिभाषा की गयी है जिसमें न केवल वास्तविक दुराचार अपितु दुराचार की धमकी - चाहे वह शारीरिक, यौनिक, मौखिक, भावात्मक अथवा आर्थिक हो - भी शामिल है। इस प्रकार, पति तथा अन्य परिवार-सदस्य दहेज की मांग के लिए भी दंडनीय होंगे और पत्नी का अपमान करने या उसे नौकरी करने से रोकने या अपने अर्जित वेतन का उपयोग न करने देने के लिए भी दंडनीय होंगे।

इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें हिंसा पीड़ित महिलाओं के सम्पूर्ण दायरे को संरक्षा प्रदान की गयी है जिसमें पत्नियां,

चर्चा में घरेलू हिंसा

माताएं, बहनें, द्वि-विवाहों या धोखाधड़ी के विवाहों से पीड़ित महिलाएं तथा सहवासिनी स्त्रियां भी शामिल हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम में विवाहित महिला को अपने ससुराल में उसी संयुक्त परिवार की छत के नीचे रहने का अधिकार दिया गया है, भले ही संपत्ति में उसका कोई हिस्सा न हो।

अधिनियम में संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने का भी प्रावधान है। इन्हें दोषी व्यक्ति को हिंसा करने या हिंसा को प्रोत्साहित करने से रोकने, दोषी व्यक्ति को कार्यस्थल में जाने से रोकने, दोनों पक्षों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली परिसम्पत्तियों को पृथक करने या महिला पर अथवा घरेलू हिंसा से बचाने वाले उसके रिश्तेदारों अथवा अन्य व्यक्तियों पर हिंसा करने वालों के विरुद्ध आदेश जारी करने का अधिकार होगा।

निश्चय ही, इस प्रकार का समाज-संगत कानून समय की पुकार है, किन्तु जब तक कि इसके साथ-साथ पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता, कानून वास्तव में प्रभावी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, जब तक कि कानून लागू करने वाले अभिकारणों का संवेदीकरण नहीं होता, मात्र कानून द्वारा सदियों पुरानी सामाजिक कुरीतियों का अंत नहीं किया जा सकता। अंत में, स्वयं पीड़ित महिलाओं को ही साहस बटोर कर आगे आना होगा और अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकना होगा।

लिंग संवेदीकरण एवं महिलाओं के प्रति अपराध पर कार्यशाला

हरियाणा पुलिस एकेडेमी, मधुबन में "लिंग संवेदीकरण एवं महिलाओं के प्रति हिंसा" विषय पर दो-दिवसीय कार्यशाला में आयोग की अध्यक्षा ने भागीदारों के समक्ष समापन भाषण दिया। कार्यशाला में अनेक मुद्दे उठाए गये जैसे भारत में महिलाओं की स्थिति, संगत कानून और उनका क्रियान्वयन, सामाजिक आयाम और पुलिस की रणनीतियां, पुरुष पक्षपात/भ्रांतियां और उनका निराकरण, पुलिस कर्मियों को महिलाओं के प्रति संवेदीकृत करने के उपायों की पहचान, आदि। समस्त हरियाणा से लिए गये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों/पुलिस उप-महानिरीक्षकों/पुलिस सुपरिंटेन्डेंटों/डिप्टी पुलिस सुपरिंटेण्डेंटों ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला में अध्यक्षा। उनके दायीं ओर अतिरिक्त डी.जी. श्री वी.एन. राय।

अध्यक्षा का इंग्लैंड का दौरा

महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों, नामतः समुद्रपार टूटने वाले विवाह, दत्तकग्रहण, बच्चों की हिरासत और अपहरण पर भारत की आवाज़ बुलंद करने के लिए आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास हाल ही में लंदन गयीं।

उनका दौरा मुख्यतः "विचारों के आदान-प्रदान की यात्रा" था। डॉ. व्यास ने कहा, "ब्रिटिश सरकार हमारे अनुभवों के बारे में जानने को इच्छुक थी, और हम भी उनसे सीखना चाहते हैं।"

अध्यक्षा ने हाउस ऑफ कामंस की महिला सदस्यों और महिलाओं के मुद्दों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

अपने हाउस ऑफ कामंस के दौरे के समय वह आपराधिक न्याय और अपराधी प्रबंधन राज्य मंत्री बेरोनेस पैट्रिका स्कॉटलैंड ऑफ ऐस्थल क्यूसी तथा रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लॉर्ड जस्टिस से मिलीं।

बाद में, उन्होंने खंडित विवाहों की शिकार महिलाओं से बातचीत की।

भारत सरकार ने अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा धोखा खायी या छोड़ दी गयी महिलाओं की सहायता के लिए कानून बनाने के मामले पर परामर्श प्रारम्भ कर दिया है।

बलात् विवाहों तथा मर्यादा अपराधों से जीवित बची महिलाओं की दास्तान सुनने डॉ. व्यास डरबी विश्वविद्यालय भी गयीं।

आयोग की अध्यक्षा रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लॉर्ड जस्टिस थारपे से चर्चा करते हुए। (नीचे) मेट्रोपोलिटन पुलिस तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ।

यूरोप के सांसदों का आयोग में आगमन

यूरोपीय संसद का एक प्रतिनिधि-मंडल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्यों से मिला। अध्यक्षा ने उन्हें आयोग की भूमिका, उत्तरदायित्व और स्थिति से अवगत कराया। आयोग की उप-सचिव सुश्री गुरप्रीत देव कौर ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का विस्तृत स्पष्टीकरण दिया।

प्रतिनिधि-मंडल ने, इस समय मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर चल रहे विवाद के संदर्भ में, आयोग के कृत्यों, विशेषकर मुस्लिम वैयक्तिक कानून तथा अन्य वैयक्तिक कानूनों के कार्यकरण के बारे में जानने में अपनी रुचि दिखाई। उन्हें बताया गया कि विवाह, दत्तकग्रहण एवं अभिभावकता के मामलों में अल्पसंख्यकों के वैयक्तिक कानून लागू होते हैं जबकि अन्य मामलों में देश के आम कानून लागू होते हैं।

भारतीय जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में आयोग की अध्यक्षा ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार की जनसंख्या नीति दबाव-रहित है, विशेषकर देश में नारी भ्रूणहत्या के प्रबल प्रचलन के कारण। आगंतुकों ने यह भी जानना चाहा कि क्या आयोग ने कोई जनहित याचिका दायर की है। अध्यक्षा ने सूचित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा एक नाबालिग विवाह को मान्य ठहराए जाने के विरुद्ध आयोग ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है।

संसद में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने संबंधी चर्चा करते समय, प्रतिनिधि-मंडल ने बताया कि अधिकतर यूरोपीय देशों में महिलाओं के लिए संसद में 33% स्थान आरक्षित हैं और पुरुषों एवं महिलाओं की बराबरी पर भी जोर है, यद्यपि कुछ देशों में केवल 10% आरक्षण है।

यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करती हुई आयोग की अध्यक्षा

सदस्यों के दौरे

- पश्चिम बंगाल के जिला बोलपुर में आदिवासी महिलाओं के उत्थान की योजनाओं पर जिला पंचायत के सभादिपति के साथ चर्चा करने के लिए, सदस्या मालिनी भट्टाचार्य बोलपुर गयीं। बाद में उन्होंने दहेज उत्पीड़न व शोषण के एक मामले की सुनवाई की। मामला राज्य महिला आयोग को सौंप दिया गया।

  कोलकता में जनवरी में अनैतिक व्यापार पर आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित कार्यशाला पर उन्होंने राज्य महिला आयोग के साथ चर्चा की। राष्ट्रीय न्यायिक शास्त्र विश्वविद्यालय में लिंग न्याय संबंधी कानूनों और उनके क्रियान्वयन पर एक लैक्चर में भी उन्होंने भाग लिया। इसमें पुलिस महानिदेशक एवं सहायक पुलिस महानिदेशक श्रेणी के अधिकारी उपस्थित थे। सुश्री भट्टाचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं।

  तत्पश्चात्, वह जयंती बाला की नागरिकता तथा उसके पुनर्वास के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए अखिल बंगाल महिला यूनियन गयीं। निर्णय लिया गया कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के विरुद्ध बलात्कार के मामले को आगे बढ़ाया जाये।

  बाद में, एक महिला के अनैतिक व्यापार तथा जल जाने से हुई उसकी अप्राकृतिक मृत्यु के मामले की जांच के लिए वह राज्य महिला आयोग की दो सदस्यों के साथ मालदा गयीं। तत्पश्चात्, उन्होंने एक लड़की की शिकायत की जांच की जिसमें कहा गया था कि उसे एक 70-वर्षीय वृद्ध पुरुष से विवाह करने पर मजबूर किया जा रहा है और इस विवाह को रुकवाने के लिए कई सिफारिशें कीं।

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने पानीपत में हरियाणा बेरोज़गार युवा संगठन द्वारा अपंग महिलाओं की समस्याओं पर आयोजित एक जन-सुनवाई में भाग लिया। बाद में, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की योजनाएं तथा कार्यक्रम समझाए।

  वह कोटा भी गयीं और अध्यापकों द्वारा लड़कियों को तंग किए जाने के मामले पर कमिश्नर, एस.पी. तथा एस.एस.पी. के साथ चर्चा की।

  इसके बाद, वह डिवीजनल कमिश्नर तथा अन्य विभागीय अधिकारियों से मिलीं और महिलाओं के विकास एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने उनको आयोग के 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम का ब्यौरा भी दिया। तत्पश्चात्, सवाई माधोपुर में गिल्ड ऑफ सर्विस की वार्षिक बैठक में उन्होंने भाग लिया और प्रशिक्षण तथा सिलाई योजना के अंतर्गत प्रमाण-पत्र वितरित किए।

- सदस्या निर्मला वेंकटेश बंगलौर गयीं और सुश्री सुजाता के मामले की जांच-पड़ताल की जिसमें मध्धुर के कुछ पुरुषों ने सम्पत्ति के लिए उन पर हमला किया था। उन्होंने महिलाओं के अनैतिक व्यापार के एक मामले की भी जांच की और पुलिस से इसमें आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। लापरवाही सम्बन्धी एक शिकायत प्राप्त होने पर, सुश्री वेंकटेश ने भगवान महावीर अस्पताल का निरीक्षण किया जहां दो दिन के एक बच्चे को अस्पताल के कचरे के साथ फेंक दिया गया था।

  उन्होंने चेन्नई निगम तथा चेन्नई नगर पुलिस के अस्थायी मेहतरों तथा सफाई कर्मचारियों की उन शिकायतों की जांच भी की जिनमें आरोप लगाया गया था कि निचले दर्जे के अधिकारी उनका यौन शोषण करते हैं। सदस्या ने विश्वास दिलाया कि इस मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री तथा स्थानीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी और कहा कि ऐसे पथभ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। बाद में उन्होंने चेन्नई निगम के कमिश्नर तथा पुलिस कमिश्नर के साथ एक बैठक की।

- मध्य प्रदेश में डुमका में कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा 'झारखंड में महिलाओं की स्थिति' पर आयोजित एक बैठक में सदस्या मंजु एस. हेमब्रोम ने भाग लिया। सुश्री हेमब्रोम ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग बलात्कार और दहेज के बड़े मामले ही हाथ में नहीं लेता अपितु महिलाओं से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर विचार करता है। एकत्रित महिलाओं को उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के लाए जाने वाले सभी मामलों पर आयोग तत्काल विचार करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम में संशोधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसमें महिलाओं को अपने पतियों से अलग हो जाने पर अपनी पैतृक अथवा सास-ससुर की सम्पत्ति में कोई हिस्सा दिए जाने का प्रावधान नहीं हैं।

बंगलौर महानगर पालिका का अधिकारी यौन उत्पीड़न के लिए निलंबित

महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुराचार करने तथा उन्हें तंग करने के आरोप में बंगलौर महानगर पालिका के समाज कल्याण अधिकारी को कमिश्नर द्वारा निलंबित कर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या निर्मला वेंकटेश की जांच के बाद यह किया गया।

महत्वपूर्ण निर्णय

● विवाह के सात वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु : उच्च न्यायालय का निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी महिला की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है तो न्यायालयों द्वारा उसके पति तथा पति के परिवार वालों पर आत्महत्या उकसाने का अभियोग लगाया जा सकता है।

● फतवाओं का कोई कानूनी आधार नहीं : सरकार

मुस्लिम समुदाय पर धर्मगुरुओं की जकड़ कम करने के उद्देश्य से, केन्द्र ने ठहराया है कि *फतवा* न मानने वालों पर किसी *मुफ्ती* को जुर्माना लगाने या उन्हें जेल भेजने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी जो *मुफ्ती* के पास *फतवे* के लिए जाता है, *फतवा* मानने को बाध्य नहीं है।

केन्द्र ने कहा है कि *दारुल कज़ा* अथवा इस्लामी न्यायालय विवादों के हल के केवल वैकल्पिक तंत्र हैं और *मुफ्तियों* की भूमिका उनके सम्मुख लाए गये मुद्दों पर अपना मत देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

● बच्चे की शिक्षा की बढ़ी हुई फीस के अनुपात में पति निर्वाह-व्यय दें : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बच्चों की उच्चतर शिक्षा के बढ़ते हुए व्यय की दृष्टि में, वैवाहिक विवाद के मामले में महिला को दिये जाने वाले निर्वाह-व्यय में भी आनुपातिक वृद्धि की जानी चाहिए।

● अनैतिक व्यापार पीड़ितों को सरकार मुआवज़ा देगी

अनैतिक व्यापार के पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में मिलाने के प्रयोजन से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्हें मुआवजा देगा। अब उन्हें बलात्कार पीड़ितों के बराबर रखा जायेगा।

11वीं पंच वर्षीय योजना में शामिल की गयी इस योजना के तहत, वेश्यालयों से मुक्त की गयी पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा राशि उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकारें प्रस्थापित व्यवस्थाओं एवं नीतियों के अंतर्गत आगे कार्यवाही करेंगी।

पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मंडल का आयोग में आगमन

पाकिस्तान के 'महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग' का एक चार-सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल राष्ट्रीय महिला आयोग आया और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान के अंतर्गत आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्यों से विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधि-मंडल में सुश्री सिमी सदाफ कमाल, डॉ. शहीदा अहमद, प्रो. डॉ. परवीन शाह और सुश्री सुहेल आसिफ थे।

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों की महिलाओं की समस्याएं न्यूनाधिक एक जैसी हैं और यदि इस क्षेत्र के सभी देशों के महिला संगठनों का एक शीर्ष निकाय हो तो वह बहुत सहायक होगा। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लिए गये विभिन्न मुद्दों जैसे अनैतिक व्यापार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, स्वास्थ्य शिक्षा, अ-निवासी भारतीय विवाह, नारी भ्रूणहत्या आदि पर प्रकाश डाला।

तत्पश्चात्, आयोग की उप-सचिव सुश्री गुरप्रीत देव कौर ने आयोग के अधिकारों, कृत्यों, कार्यवाईयों तथा लक्ष्यों पर प्रस्तुतीकरण किया। आयोग के संयुक्त सचिव श्री सतीश लूम्बा ने प्रतिनिधि-मंडल को आयोग के गठन एवं कार्यकरण से अवगत कराया।

सुश्री सदाफ सिमी कमल, प्रतिनिधि-मंडल की नेता, ने कहा कि उनका आयोग एक सरकारी संस्थान है जो सीधे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। अध्यक्षा का पद राज्य मंत्री के बराबर है जबकि अन्य सदस्यों का औहदा फेडरल सेक्रेटरी के बराबर है। उनका कार्य मुख्यतः परामर्श देना है, किन्तु मामलों का स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिला उद्धार, सशक्तिकरण और समानीकरण करना है। इस समय उनका आयोग महिला संरक्षा विधेयक तथा घरेलू हिंसा विधेयक पर कार्य कर रहा है।

आयोग की अध्यक्षा और सदस्य पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के साथ

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन